(ग) मार्च, 1994 तक अनुमोदित मामलों में अन्तर्ग्रस्त कुल पूंजी निवेश लगभग 118.00 बिलियन रु. है ।

(घ) बोर्ड द्वारा प्रस्ताव प्राप्त करना और उन पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले

4976. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें अब तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है, इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी जिला को किस आधार पर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाता है;

(ग) राजस्थान के सवाई माधोपुर दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं, इसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) ऐसे जिलों को, जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किये जाने के मापदंडों को पूरा करते हैं, कब तक औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित कर दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राज्यवार औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । (नीचे देखिए) ।

(ख) जिलों को कुछ मानदण्डों जिनमें अन्य मानदण्डों के अलावा प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, कारखाना रोजगार की सीमा और कुल श्रमिकों में कृषि श्रमिकों का अनुपात शामिल है के आधार पर औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया था ।

(ग) और (घ) सवाई माधोपुर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया था क्योंकि यह पिछड़ेपन के मानदण्डों को पूरा नहीं करता था ।

विवरण

1. देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश (14)	– अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डापाह, करीम नगर, खम्माम, कुरनूल, महबूब नगर; मेडक, नालागोंडा, नेलौर, निजामाबाद, अंरोले, श्रीकाकुलम और वारांगल ।
बिहार (18)	– भागलपुर, चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पलामू, पूर्णिया, सहरसा, संथाल, परगना, सारन, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगसराय, मुंगेर, खगरिया और माधोपुर ।
गुजरात (11)	– अमरेली, बनासकंडा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, मेंहसाना, पंचमहल, साँवरकंठा, सुरेन्द्रनगर और डांग ।
हरियाणा (4)	– भिवानी, हिसार, जींद और महेन्द्रगढ़ ।
केरल (7)	– अलेप्पो, कन्नानोर, मालापुरम, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम, वाईनाड और इदक्की ।
कर्नाटक (11)	– बेलगाम, बीदार, बिजापुर, धारवाड़, गुलबर्ग, हसन, मैसूर नार्थ कानार, रायचूर, साउथ कानारा और टुमकूर ।

मध्य प्रदेश – बालाघाट, बस्तर, बैतूल, बिलासपुर, भिंड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह,
(36) दतिया, धार, देवास, गुना, होशंगाबाद, झबुआ, खारगौन, मांडला, मंदसौर, मुरेना, नरसिम्हापुर पन्ना, रायगढ़, रायपुर, राजेन्द्रगांव राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवा सागर, शेवनी, साजापुर, शिवपुरी, सिदधी, शुरगुजा, टिकमगढ़, विदिशा और नया सेहोर जिला ।

महाराष्ट्र – औरंगाबाद, भंडारा, भीर, बुलधाना, चंद्रपुर,
(14) कोलाबा, धुलिया, जलगंव, नान्देड, ओसमानाबाद, परभनी, रत्नागिरी, यवतमाल तथा गढ़ाचरोली

उड़ीसा – बालासोर, बोलनगीर, धनकनाल, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुर,
(8) मयूरभंज, तथा फुलबनी ।

पजाब – भटिन्डा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, तथा
(5) संगरूर ।

राजस्थान – अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाडमेर, चुरू, डूगरपुर, जैसलमेर
(16) जालौर, झुनझुनु, झालावाड़ जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर।

तमिलनाडु –धर्मपुरी, कन्याकुमारी, मदुरै नार्थ, आरकोट, रामनाथपुरम,
(9) साउथ आरकोट, तंजावूर, तिरूचिरापल्ली तथा जिला पुडाकोट्टाई ।

उत्तर प्रदेश –अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया बांदा, बाराबंकी, वस्ती, बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, एटा
(141) इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मैथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पियौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, उन्नाव, उत्तरकाशी, कानपुर देहात, पौडी–गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, शहाजहांपुर, सीतापुर और सुल्तानपुर ।

पश्चिम बंगाल––बांकुरा, वीरभू, वर्द्धमान, कूच विहार, दार्जिलिंग, हुगली,
(13) जलपाईगुड़ी, मालवा, मिदनापुर, मुर्शीदाबाद, नाडिया, पुरूलिया तथा पश्चिम दिनाजपुर ।

असम	सम्पूर्ण राज्य
हिमाचल प्रदेश	,,
जम्मू एवं कश्मीर	,,
मणिपुर	,,
मेघालय	,,

नागालैंड	सम्पूर्ण राज्य
सिक्किम	,,
त्रिपुरा	,,
अरूणाचल प्रदेश	,,
गोवा	,,
मिजोरम	,,
अंडमान एवं निकोबार	संपूर्ण संघ शासित क्षेत्र
दादर एवं नगर हवेली	,,
दमन एवं दीव	,,
पांडिचेरी	,,
लक्ष्यद्वीप	,,

II. रियायती वित्त की पात्रता के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में अपनाए जाने हेतु राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को सिफारिश किए गए मानदण्ड।

---

1. प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल का उत्पादन जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या जिला प्रधानतया खाद्यान्न/नकद फसल का उत्पादन करने वाला जिला है । अन्तर जिला तुलनाओं के लिए खाद्यानों तथा वाणिज्यिक फसलों के बीच परिवर्तन दरें, जहां आवश्यक हो, पूर्व निर्धारित आधार पर राज्य सरकार द्वारा तय की जा सकती है ।

2. आबादी में कृषि श्रमिकों का अनुपात ।

3. प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन ।

4. प्रति लाख आबादी में कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा इसके विकल्प में प्रति लाख आबादी में दूसरे अथवा तीसरे प्रकार के कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या ।

5. प्रति व्यक्ति बिजली की खपत ।

6. आबादी की तुलना में पक्की सड़कों की लम्बाई अथवा आबादी की तुलना में रेलवे मील दूरी ।